



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1236]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2017/वैशाख 13, 1939

No. 1236]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2017/VAISAKHA 13, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2017

का.आ. 1399(अ).—यतः, मै. एसईजेड बायोटेक सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड ने महाराष्ट्र राज्य के ग्राम मंजरी बुदरुक, तालुका हवेली, जिला पुणे में जैव.प्रौद्योगिकी के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित क्षेत्रों को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया, जिनका विवरण इस प्रकार है;

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या	दिनांक	अधिसूचित क्षेत्र	परिणामतः क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	का. आ. 651 (अ)	29.03.2012	11.50675	11.50675
2.	का. आ. 341 (अ)	07.02.2013	4.613355	16.1201

और यतः, मै. एसईजेड बायोटेक सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड ने अब 0.97 हेक्टेयर के क्षेत्र उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में से 0.97 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने के लिए अधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 17.0901 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:—

तालिका

क्र. सं.	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	अनधिसूचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	मंजरी बुदरुक	107 / 4बी / 1	0.21
2.		107 / 4सी	0.31

3.		107/3ए	0.45
	कुल		0.97
उपयुक्त घटाव के पश्चात एसईजेड का कुल भौष क्षेत्रफल			17.0901

[फा. सं. एफ.-1/18/2011-एसईजेड]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd May, 2017

S. O. 1399(E).—WHEREAS, M/s. SEZ Bio-Tech Services Private Limited, had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a Special Economic Zone for biotechnology at Village Manjari Budruk, Taluka Haveli, District Pune, in the State of Maharashtra;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified the following areas at above Special Economic Zone as per the details given below:-

S.No.	Notification No.	Dated	Area Notified	Resultant Area (Area in hectares)
1.	S.O. 651 (E)	29.03.2012	11.50675	11.50675
2.	S.O. 341 (E)	07.02.2013	4.613355	16.1201

AND WHEREAS, M/s. SEZ Bio-Tech Services Private Limited, has now proposed to include an area of 0.97 hectares as a part of above Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies an additional area of **0.97 hectares**, as a part of above Special Economic Zone, thereby making total area of the Special Economic Zone as **17.0901 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table namely:-

TABLE

S.No.	Village	Survey No.	Area in hectares
1.	Manjari Budruk	107/4B/1	0.21
2.		107/4C	0.31
3.		107/3A	0.45
Total			0.97
Grant total area of SEZ after above addition			17.0901

[F. No. F.-1/18/2011-SEZ]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.